संख्या–2228/77–3–19–209(एम)/18

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ. प्र. शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 14 नवम्बर, 2019

विषयः–'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के इ0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु परियोजना के विभिन्न पैकजों हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4916/यूपीडा/2019, दिनांक 31.10.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(1) 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 31.10.2019 में प्रदान की गयी संस्तुति के क्रम में 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' परियोजना के छः पैकेजों के ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदायें प्रस्तुत करने वाले निम्नलिखित निर्माणकर्ताओं को चयनित किया गया हैः–

ACEO/FC.

14/11

(रूपये करोड़ में)

पैकेज संख्या	न्यूनतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता का नाम (एल–1)	न्यूनतम वित्तीय निविदा (जी0एस0टी रहित)
पैकेज-I	मे0 एप्को इन्फ्राटेक प्रा0लि0	1,268.60
पैकेज –II	मे0 एप्को इन्फ्राटेक प्रा0लि0	1,245.63
पैकेज –III	मे0 अशोका बिल्डकॉन लि0	1,079.52
पैकेज –IV	मे0 गावर कन्शट्रक्शन लि0	1,396.00
पैकेज –V	मे0 गावर कन्शट्रक्शन लि0	1,415.00
पैकेज –VI	मे0 दिलीप बिल्डकॉन लि0	1.362.06
योगः		7,766.81

(2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन, निर्माण के अनुश्रवण इत्यादि कार्यों हेतु संलग्न आर्गेनाईजेशन चार्ट के अनुसार यूपीडा मुख्यालय हेतु 01 मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबंधक (बुन्देलखण्ड एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हेतु) 01 अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, 02 अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ प्रबंधक, 03 सहायक अभियन्ता/प्रबंधक की आवश्यकता है, साथ ही फील्ड पर कार्य हेतु 06 अधिशासी अभियन्ता, 12 सहायक अभियन्ता, एवं 18 अवर अभियन्ता, की आवश्यकता है। उक्त अभियन्ताओं को उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेना प्रस्तावित है। उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग से उक्त अभियन्ताओं की प्रतिपूर्ति न हो सकने की दशा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भारत के किसी भी राज्य के लोक निर्माण विभाग/एन0एच0ए0आई0/बार्डर रोड ऑगेनाईजेशन/यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राधिकरण के कार्य हेतु रखे जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार तकनीकी स्टॉफ को रखे जाने की प्रक्रिया पर मा0 मंत्रिपरिषद का सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. कृपया शासन द्वारा लिए गये उक्त निर्णयों के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव